न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

प्रार्थना पत्र संख्या 69 / 2020

भारतीय स्टेट बैंक,
बैंक भवन, मेडम कामा रोड, मुम्बई,
लोकल हेड ऑफिस 11, संसद मार्ग, न्यू दिल्ली एव
संपत्ति प्रबधक शाखा 2nd, 11th फ्लोर
एसटीसी बिल्डिंग, 1 टॉलस्टोय मार्ग, जनपथ,
न्यू दिल्ली–110001 जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी / सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

(1). सुजुकी टेक्सटाईलस लिमिटेड,
गांव– गुडडा, पोस्ट आफिस–मांडल,
जिला–भीलवाडा, राज0–311403
(2). श्री रत्नेश्वर कुमार माहेश्वरी
निवासी:– 25 / 531, सोलकी टॉल्कीज रोड, शास्त्री नगर,
जिला भीलवाडा, राज0 311001
(3). श्री राजेन्द्र प्रसाद माहेश्वरी
निवासी:– 4 फ्लोर, सेन्ट्रल बिल्डिंग नं0 02, बोमंजी मास्टर लेन,
कालबादेवी के सामने P.O. मुम्बई–400002
श्री राजेन्द्र प्रसाद माहेश्वरी
25 / 531, सोलकी टॉल्कीज रोड, शास्त्री नगर,
जिला भिलवाडा, राज0 311001

.....अप्रार्थी / ऋणी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 14 दी सिक्यूराईटेशन रिक्सट्रक्शन
आफ फाईनेनिशयल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ
सिक्यूरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित :– श्री नितिन नारंग अभिभाषक प्रार्थी

आदेश दिनाक 20.03.2020

संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थीगण को दिनांक 24.05.2014 को कमशः रू. 127,47,00,000.00 /– (अक्षरे एक सौ सतांईस करोड एव सैतालीस लाख रूपये मात्र) की ऋण सुविधा स्वीकृत की थी। इस हेतु अप्रार्थीगण / ऋणी ने आवश्यक दस्तावेजात निष्पादित कर कृषि मंडी रोड के पीछे चौराहा, विजयनगर जिला–अजमेर (राज0) स्थित प्लाट नं0 03 पर निर्मित आवासीय भवन के सभी भाग और पार्सल, (दक्षिण एव उत्तरी भाग) क्षेत्रफल 215 वर्गगज, को बतौर जमानत प्रार्थी बैंक के पास बन्धक रखा था। अप्रार्थीगण नियमित रूप से प्रार्थी बैंक को उक्त ऋण का भुगतान नही कर सके और बकाया ऋण के भुगतान मे व्यतिक्रम व चूक कर दी और दिनाक 31.03.2019 को डिफाल्टर हो गये। प्रार्थी बैंक द्वारा अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थीगण ऋणी को दिनाक 30.07.2019 को रजिस्टर्ड माग नोटिस रूपये– 144,57,96,998.81 /– (अक्षरे एक सौ चौवालीस करोड सतावन लाख छियानवे हजार नौ सौ अठयानवे एवं इक्कयासी पैसे) का जारी किया गया। नोटिस जारी

जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर

किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की। ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का सम्पूर्ण कब्जा भी प्रार्थी कम्पनी को नहीं सम्भलाया है। प्रार्थी कम्पनी द्वारा The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुनर्भुगतान हेतु रहनशुदा सम्पति का कब्जा प्रार्थी कम्पनी को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रार्थी प्रस्तुत किया गया।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया। अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये प्रकट किया कि अप्रार्थीगणों ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस प्राप्त करने के बावजूद भी प्रार्थी बैंक को जमा नहीं कराया है। उक्त अधिनियम की धारा 14 के अर्न्तगत प्रार्थी बैंक के पक्ष में उक्त रहन रखी सम्पति का अधिनियम के प्रावधान अनुसार कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुये प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अर्न्तगत नोटिस जारी करने के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः The Securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of securities interest Act 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। अप्रार्थीगण ऋणी की ओर से प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक सम्पति, कृषि मंडी रोड के पीछे, चौराहा, विजयनगर जिला–अजमेर (राज0) स्थित प्लाट नं0 03 पर निर्मित आवासीय भवन के सभी भाग और पार्सल, (दक्षिण एवं उत्तरी भाग) क्षेत्रफल 215 वर्गगज, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त सम्पति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों/कर्मचारियों के वेतन भत्तों व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायगा। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक, अजमेर को हस्ब कायदा जारी हो।

आदेश आज दिनांक 20.03.2020 को सुनाया गया।

(विश्व मोहन शर्मा)
जिला मजिस्ट्रेट
अजमेर